भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3824
सोमवार, 24 मार्च, 2025 / 03 चैत्र, 1947 (शक)

ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड

3824. श्री सुब्बारायण के.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पुनर्गठित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी) जैसी केंद्रीय श्रमिक संघों को पुनर्गठित सीबीटी में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुसंख्यक कार्यबल का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्रीय श्रमिक संघों ने इसका विरोध किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उप-धारा (1) के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 12.01.2024 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 156(अ) के माध्यम से केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का गठन किया है।

क.भ.नि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5क(1)(ङ) के अंतर्गत सीबीटी, ईपीएफ में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम दस व्यक्तियों की नियुक्ति का उपबंध है। नव-गठित सीबीटी, ईपीएफ में, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से तीन व्यक्तियों का नामांकन किया गया है और हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीट), ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र (टीयूसीसी), आत्मनिर्भर महिला संघ (सेवा) और भारतीय ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रीय मोर्चा (एनएफआईटीयू) से एक-एक व्यक्ति का नामांकन किया गया है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के प्रतिनिधियों के लिए दो स्थान रिक्त रखे गए हैं। नव-गठित सीबीटी, ईपीएफ में इंटक के प्रतिनिधियों का नामांकन नहीं किया गया है, क्योंकि इंटक के विभिन्न दलों के बीच न्यायालय के मामले लंबित हैं।

******